रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-08112023-249951 CG-DL-E-08112023-249951

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4634]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 8, 2023/कार्तिक 17, 1945

No. 4634]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 8, 2023/KARTIKA 17, 1945

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) अधिसुचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2023

का.आ. 4834(अ).—जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 18) की धारा 1 उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, प्रकाशन की तारीख को उस दिन के रूप में नियत करती है जिस दिन जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023 की अनुसूची में क्रम सं. 35 पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) से संबंधित उपबंध प्रवृत्त होगा।

[फा. सं. पी.15025/113/2022-एफआर] आराधना पटनायक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2023

S.O. 4834(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section(2) of section 1 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023 (18 of 2023), the Central Government hereby appoint the date of publication as the day on which the provision at serial no. 35 in the Schedule of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023 relating to Food safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) shall come into force.

[F. No. P.15025/113/2022-FR]

ARADHANA PATNAIK, Jt. Secy.

7024 GI/2023